वित्त निर्देश– 24/2020

छत्तसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/723/वित्त/स्था/चार नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक28/10/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष

विषय :– नवीन शासकीय राशि बैंक विनियोजन प्रावधान।

—0—

राज्य शासन के विभिन्न प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/ बोर्ड/ पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि द्वारा अतिरिक्त कोष को अस्थायी तौर पर बैंकों में रखा जाता है।

शासन और बैंकों के बीच प्रशस्त तथा प्रभावी समन्वय स्थापित करने, बैंकिंग समुदाय के मध्य स्वच्छ प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित करने तथा बैंकों द्वारा शासकीय योजनाओं में उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों के इम्पेनलमेंट संबंधी निर्देश जारी किये गए हैं।

वर्तमान में Ease of Doing Business के सिद्धांत एवं स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू करने हेतु नवीन शासकीय राशि बैंक विनियोजन प्रावधान निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं। ये तद्संबंधी पूर्व वित्त निर्देशों को अधिक्रमित करेंगे।

1/ शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/पंचायत/ ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि द्वारा अतिरिक्त कोष का विनियोजन बैंकों में निम्न उद्देश्य के आधार पर किया जाएगा :–

a) अधिकाधिक ब्याज की प्राप्ति जिससे की कोष में अधिकतम वृद्धि प्राप्त की जा सके।

b) बैंकों द्वारा राज्य शासन की निर्धारित शासकीय योजना में उच्चतर परफारमेंस।

c) बैंक की वित्तीय स्थिरता, शासकीय राशि की सुरक्षा हेतु।

d) जमाकर्ता विभाग को सस्ते दर पर ऋण प्रदायगी।

शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/ पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि अपने अतिरिक्त कोष के विनियोजन हेतु बैंक चयन करते समय उपरोक्त चार उद्देश्य की विवेचना कर शासन के हित में वित्तीय औचित्य के सिद्धांत अनुसार युक्तियुक्त निर्णय लेंगे।

2/ बिन्दु क्रमांक–1 में उल्लेखित उद्देश्य हेतु पात्र बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के Second Schedule में वर्णित बैंक होंगे।

परन्तु ऐसे बैंक जिनके द्वारा निम्न तथ्यों का पालन नहीं किया गया है, वे बैंक अपात्र होंगे :–

a) भारतीय रिजर्व बैंक के मापदण्ड– CD Ratio, Priority Sector Lending का पालन नहीं होना (राज्य शासन की अंशधारिता होने के कारण प्रदेश में कार्यरत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को छोड़कर)।

b) वित्त विभाग के द्वारा किसी बैंक के फाइनेंसिंयल आउटलूक, बैंक का राष्ट्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर पर असंतोषजनक परफारमेंस होना।

c) संचालनालय संस्थागत वित्त (DIF) द्वारा जारी निर्देश का पालन एवं संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा मांगी गई डाटा नहीं उपलब्ध कराना।

d) वे बैंक जिनका छत्तीसगढ़ में बैंक विशेष का Presence नहीं होना।

उपरोक्त चार बिन्दुओं के आधार पर अपात्र बैंकों को हटाकर संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा पात्र बैंकों की सूची जारी की जायेगी। अपात्र बैंक कोई भी नया डिपॉजिट लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।

3/ बिन्दु क्रमांक–1 (a) के संदर्भ में बैंकों के परफारमेंस की जानकारी संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा निर्धारित पत्रक में संचालनालय संस्थागत वित्त की Website पर अर्द्धवार्षिक रूप से अपलोड की जायेगी।

4/ राज्य शासन को आवश्यकता पड़ने पर बैंकों में जमा शासकीय राशि को वित्त विभाग के आदेश से K-Deposit में जमा करने का आदेश जारी किया जा सकता है जिसका त्वरित अनुपालन अनिवार्य है।

5/ बैंक मासिक रूप से शासकीय जमा की जानकारी संचालनालय संस्थागत वित्त को निर्धारित प्रारूप में समयानुसार उपलब्ध करायेंगे एवं शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम /अथॉरिटी इत्यादि द्वारा बैंकों में जमा राशि की जानकारी प्रति छःमाही निर्धारित प्रारूप में संचालनालय संस्थागत वित्त को प्रेषित किया जायेगा।

6/ शासकीय जमा प्राप्त करने हेतु बैंक विशेष का उस क्षेत्र में शाखा होना आवश्यक है।

7/ छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश के आधार पर LWE/Special Area/ दुर्गम क्षेत्र में जिन बैंकों द्वारा ब्रांच खोले गये हैं/खोले जायेंगे, उन्हें उस ब्रांच के परिचालन/प्रशासन आदि संबंधी व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उस ब्रांच के लिये जिला स्तर पर पृथक से न्यूनतम आवश्यक शासकीय जमा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

8/ इस योजना के संदर्भ में रिपोर्टिंग फार्मेट, डाटा संकलन फार्मेट (यदि कोई हो) आदि संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा जारी किया जायेगा।

9/ योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कोई समस्या के समाधान हेतु आवश्यक निर्देश निकालने के लिये संचालक, संचालनालय संस्थागत वित्त सक्षम प्राधिकारी होगा।

10/ पात्र बैंकों की सूची को जारी करने हेतु संचालक, संचालनालय संस्थागत वित्त को अधिकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शारदा वर्मा) 27/10
संयुक्त सचिव

पृ.क्र./724/वित्त/स्था/चार नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक28/10/2020

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर
3. रजिस्ट्रार जनरल/ महाधिवक्ता/ उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/ मानवाधिकार आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग/ लोक आयोग, रायपुर
5. निज सचिव/ निज सहायक मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
7. मुख्य सचिव के उपसचिव, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
8. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
9. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सूचना आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
11. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/संचालक, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
14. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय/इन्द्रावती कोषालय छत्तीसगढ़
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
16. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

27/10/2020
(प्रेमा गुलाब एक्का)
उप सचिव